

अधिसूचना

सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर बिल्डिंग के तल घर में लगभग एक हजार रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों/शर्तों के तहत चाय, खान-पान कैटीन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कैटीन संचालन के नियम पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट https://wcr.indianrailways.gov.in/view_section.jsp?lang=0&id=0,4,2148 उपलब्ध है अतः यहां से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा मुख्यालय कार्मिक विभाग जबलपुर के कल्याण अनुभाग, से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 17.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पूर्ण भरकर दिनांक 17.05.2023 समय 17.00 बजे तक पहुँचना आवश्यक है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

अध्यक्ष संचालन समिति

एवं सचिव केंद्रीय कर्मचारी हितनिधि

पमरे / जबलपुर

कैंटीन का संचालन निम्न नियमों के आधार पर होगा :—

1. कैंटीन का संचालन लगभग 1000 कर्मचारी के लिए होगा ।
2. रेलवे की तरफ से कैंटीन संचालन हेतु स्थान मुख्यालय के तलघर (बेसमेंट) में निर्धारित है । रेलवे की तरफ से कैंटीन में फर्नीचर, पानी लाइट की व्यवस्था की गयी है । किचन व काउंटर का बिजली बिल ठेकेदार द्वारा जमा कराना होगा ।
3. प्राइवेट ठेकेदार द्वारा कैंटीन संचालन का कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा । सही संचालन करने पर एक वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकता है ।
4. प्राइवेट ठेकेदार को केवल समिति की तरफ से निर्णित सुविधा जैसे बर्तन, खाली गैस सिलेंडर चूल्हा, फ्रीज आदि दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जाएगी । बिजली, पानी एवं कैंटीन किराया रेल नियमों के तहत समिति द्वारा निर्धारित की गयी दर से देय होगा ।
5. कैंटीन का लाइसेंस शुल्क प्रति माह रु.1000/— निर्धारित किया गया है जो कि समय-समय पर पुनः निर्धारित किया जा सकेगा तथा संचालन हेतु सिक्यूरिटी राशि रु. 40,000 /— संचालक समिति के खाते में जमा रहेगी । यदि उपलब्ध कराये सामानों में कमी या टूटफूट होती है, तो इसकी कटौति सिक्यूरिटी राशि रु. 40,000 /— से की जायेगी ।
6. कैंटीन संचालन में खाने पीने की दरें एवं मात्रा समिति द्वारा निर्धारित की गई है जो कि समयानुसार कमेटी द्वारा पुनः निर्धारित की जाती है । कैंटीन में बेचे जाने वाली खाद्य सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए । गुणवत्ता की जांच कच्चे माल से लेकर कोई भी खाद्य सामग्री तक नामित संचालन समिति करेगी ।
7. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू अध्यक्ष द्वारा नामित समिति तय करेगी ।
8. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समयानुसार आवश्यकतानुसार ही खोली जाएगी । सामान्यतः कैंटीन का समय प्रातः 8:30 से सायं 18:30 तक का होगा Break fast 9.00 am तक तैयार होना चाहिए । आवश्यकतानुसार शनिवार भी खोला जाए ।
9. कैंटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क होने चाहिए । खाद्य वितरण सामग्री बनाने बचने एवं सर्व करने हेतु उपयुक्त कर्मचारी होना चाहिये ।
10. प्राइवेट ठेकेदार को कैंटीन की साफ— सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने — पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा ।
11. कैंटीन में शराब व धूम्रपान वर्जित होगा । यदि कोई व्यक्ति कैंटीन में शराब या मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कैंटीन ठेकेदार प्रबंधक की होगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा जोकि कम से कम रु. 1000/— होगी तथा ठेका तुरंत प्रभाव से बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है ।
12. कैंटीन में लगी फ्रिज, चूल्हा इत्यादि की मरम्मत एवं देख-रेख ठेकेदार द्वारा करायी जाएगी ।
13. कैंटीन में उपलब्ध रेलवे सम्पत्ति की जिम्मेदारी प्राइवेट ठेकेदार की होगी तथा सम्बंधित रेलवे सम्पत्ति को कोई नुकसान या चोरी हुआ तो उसकी कीमत प्राइवेट ठेकेदार से वसूल की जाएगी ।
14. राष्ट्रीय प्रेम भावना के साथ प्राइवेट ठेकेदार को कर्मचारियों के साथ भाईचारे का व्यवहार तथा शांति बनाए रखनी होगी ।

15. कैंटीन से निकला कचरा , कचरापात्र में डालना प्राइवेट ठेकेदार की जिम्मेदारी है ।
16. यदि कैंटीन के खाने पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें मिली तो प्राइवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा । इसके लिए प्राइवेट ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
17. कैंटीन संचालन के लिए किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय संचालन समिति अध्यक्ष का होगा ।
18. कैंटीन में कार्यरत कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी न हो । इसकी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट हर वर्ष ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी ।
19. कैंटीन सम्बंधी नियमों व शर्तों का पालन करते हुए एवं सभी योग्यताओं को देखते हुए कैंटीन संचालन का ठेका दिया जाएगा ।
20. कैंटीन में कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं बैज पहनना जरूरी है । कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म ठेकेदार उपलब्ध कराएगा ।
21. उपरोक्त नियमों में समय-समय पर संशोधन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा । जिसे मानने हेतु ठेकेदार बाध्य रहेगा ।
22. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यदि स्थानीय निकाय / राज्य शासन द्वारा अधिघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति / लाइसेंस ठेकेदार द्वारा प्राप्त स्वयं अपने खर्च पर करना होगा ।
23. ठेकेदार कैंटीन और उसके आसपास के क्षेत्र को हमेशा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखेगा ।
24. पमरे, जबलपुर के अध्यक्ष सचिव या नामित समिति या अन्य कोई पदाधिकारी किसी भी समय कैंटीन का निरीक्षण कर सकते हैं । ठेकेदार उनके निरीक्षण के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा ।
25. कैंटीन से सम्बंधित किसी मामले में उत्पन्न विवाद का निपटारा कैंटीन संचालक समिति अध्यक्ष के पर्यवेक्षण करेगी और ठेकेदार उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य होगा ।
26. ठेकेदार कैंटीन को बंद नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया हो ।
27. ठेकेदार उक्त शर्तों को मानने के लिए लिखित सहमति देगा ।
28. प्राइवेट ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और तय बिन्दुओं के आधार पर ही कैंटीन का संचालन होगा ।

अध्यक्ष संचालन समिति
एवं सचिव केंद्रीय कर्मचारी हितनिधि
पमरे / जबलपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. नाम
2. पिता का नाम.....
3. पत्र व्यवहार का पता.....

फोटो

4. वर्तमान में व्यवसाय.....
5. शैक्षणिक योग्यता
6. कैटीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण
7. यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दें कि कहां पर किस पद पर कार्य किया है
8. कोई किमिनल केस लम्बित विचाराधीन तो नहीं है .? यदि है तो उसका विवरण दें
9. वर्तमान की पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट की प्रति
10. पैन कार्ड नं. मोबाइल नं.....
11. कैटीन चलाने हेतु प्राप्त लाइसेन्स का विवरण (प्रति संलग्न करें।)
12. केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति, पमरे/जबलपुर के पक्ष में सेक्यूरिटी राशि रु. 40,000/- जमा करने की डिमांड ड्राफ्ट की तिथि व क्रमांक
13. मोबाइल नम्बर

स्थान.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

गवाह के हस्ताक्षर

मुख्यालय स्टाफ कैंटीन निर्धारित मूल्य सूची

क्रम क्र	समग्र का नाम	आपके द्वारा निर्धारित रेट तथा कितनी मात्रा होगी	रिमार्क
1	भोजन - दाल, चावल, सब्जी, 4 रोटी, अचार, पापड़, सलाद	40/- थाली	सायता 50 ग्राम 5/- रुपये। दही 100 ग्राम 10/- रुपये। अलग से।
2	स्पेशल थाली (मटर पनीर/पालक पनीर/कढ़ाई पनीर)	70/- थाली। इसका कूपन 11 बजे तक कटेगा। खाना 1 बजे मिलेगा।	1 पनीर सब्जी, 1 सूखी सब्जी, 4 रोटी, बटर 5/- वाला, चावल, पापड़, अचार, दाल, दही या छाछ, 1 मीठा।
3	चाय	7/- (75 एम एल)	
	चाय स्पेशल	10/- स्पेशल (75 एम एल)	
4	कॉफी	100 एम एल, 10/-	
5	समोसा	7/- (50 ग्राम)	
6	खसता	7/- (40 ग्राम)	
7	कचौड़ी	7/- (40 ग्राम)	
8	आलूबड़ा	7/- (50 ग्राम)	
9	कटलेट	10/- (80 ग्राम)	1 पीस, चटनी, टमेटो स्वास,
10	दालबड़ा	7/- (40 ग्राम)	
11	ब्रेड पकौड़ा	10/- (50 ग्राम) सादा	
12	सलौनी, सेव, चिवड़ा	120/- प्रति किलो	तेल सोयाबीन साथ में वेसन
13	दालमोट	120/- प्रति किलो	
14	वालूशाही	130/- प्रति किलो	240/- देशी घी वाले।
15	बूंदी लड्डू	130/- प्रति किलो	200/- देशी घी वाले।
16	मगज लड्डू	130/- प्रति किलो	220/- देशी घी वाले।
17	वेसन बर्फी	120/- प्रति किलो	200/- देशी घी वाले।
18	दही बड़ा	20/- दो पीस, 1 पीस 10/-	दो बड़े, 50 ग्राम दही, नमक, जीरा, मिर्च,
19	मजिया	120/- प्रति किलो	100 प्रतिशत शुद्ध वेसन दाल पिसवा के
20	मुगोड़ा	120/- प्रति किलो	
21	गुलाब जामुन	120/- प्रति किलो 180/- प्रति किलो	बाजार के खोवे के स्वयं के खोवे का बनाया हुआ।

22	पोहा, जलेबी	20/- प्रति प्लेट	(50 ग्राम जलेबी और 90 ग्राम पोहा ,10 ग्राम सेव)
23	खोवा जलेबी	150/- प्रति किलो 240/- प्रति किलो	डालडा देशी घी
24	पुड़ी सब्जी	30/- प्रति प्लेट	6 पुड़ी, सब्जी ,अचार, मिर्ची, प्याज.
25	छोले भदूरे (6 भदूरे)	40/- प्रति प्लेट	
26	पाव भाजी	30/- प्रति प्लेट	4 पीस पाव ,भाजी 100 ग्राम ,चटनी, प्याज.
27	पराठा (आलू, मैथी, गोभी, मूली, जीरा अजवाइन) चटनी सहित.	25/- , 100 ग्राम चटनी के साथ।	
28	पराठा सादा	100 ग्राम 12/-	आलू की सब्जी 40 ग्राम।
29	दही मीठा	200 ग्राम 10/-	
30	आइसक्रीम	खुदरा मूल्य	
31	स्नैक्स	खुदरा मूल्य	
32	इडली सांभर बड़ा	20/- प्रति प्लेट 2 पीस	10/- सिंगल पीस
33	सेंडविच (बेज)	20/- दो पीस	प्याज ,ककड़ी टमाटर, नमक, काली मिर्च
34	चना, मूंग, मोठ (घुघरी लो कैलोरी)	100 ग्राम , 20/-	साथ में 10 ग्राम सेव.
35	उपमा	100 ग्राम ,15/-	सोयाबीन तेल से बना हुआ।
36	ढोकला	100 ग्राम , 25/-	साथ में चटनी.
37	रस मलाई, छैना रसगुल्ले, कलाकंद, मलाई बरफी ,मिल्क केक, छैना भुर्जी	बाजार से 10 प्रतिशत कम रेट पर।	बाजार का खोवा इस्तेमाल नहीं होगा। शुद्ध दूध से बनाया हुआ खोवा इस्तेमाल होगा।